भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †4810

दिनांक 20 मार्च, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

ई-सिगरेट

†4810. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि समाज में ई-सिगरेट, वेपिंग पेन, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम (ईएनडीएस), हीट-नॉट-बर्न उपकरण तथा अन्य हीटेड तंबाकू उत्पाद जैसे नई पीढ़ी के गेटवे उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उपर्युक्त उपकरणों के उपयोग से उपयोगकर्ताओं तथा व्यापक समाज के लिए उत्पन्न होने वाले किसी स्वास्थ्य खतरे का अवलोकन किया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): देश में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट और इसी तरह के उपकरणों पर प्रतिबंध लगाने हेतु इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, विनिर्माण, आयात, निर्यात,परिवहन,विक्रय,वितरण,भंडारंण और विज्ञापन) प्रतिषेध अधिनियम (पीईसीए), 2019, भारत सरकार द्वारा दिनांक 5 दिसंबर, 2019 को लागू किया गया है। इस अधिनियम का प्रवर्तन संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन है।

(ग) और (घ): इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन वितरण प्रणाली (ईएनडीएस) पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के श्वेत पत्र के अनुसार, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट से उपयोगकर्ताओं के लिए गंभीर स्वास्थ्य संबंधी खतरे उत्पन्न होते हैं, जिससे उन्हें निकोटीन की लत और जहरीले रसायनों, धातुओं, कार्सिनोजेन आदि के संपर्क में आने का खतरा होता है। ऐसे उपकरणों के उपयोग से कैंसर, हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क संबंधी रोग होने का जोखिम होता है।
